मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

राज्य के महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाले अपराधों के रोकथाम में तत्काल सहायता के लिए फोरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु ₹ 230.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रापिक अपराधों के नियंत्रण हेतु ₹ 26.62 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 4

विशेष अधोसंरचना योजना हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

वर्ष 2008 एवं 2013 में हुए विधानसभा चुनाव ड्यूटी में बिहार राज्य से तैनात सशस्त्र बलों पर हुए व्यय के पुनर्भरप हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

आगामी विधानसभा चुनाव-2018 में चुनाव बंदोबस्त चुनाव ड्यूटी हेतु पेट्रोल तेल आदि मद में ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

न्यायालयीन प्रकरणों में डिक्रीधन के भुगतान हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यक्ता है ।

मद क्रमांक 9

आगामी विधानसभा चुनाव-2018 हेतु अधिग्रहित वाहनों पर राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

प्रदेश के 432 थानों, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा प्रदेश के सभी कैम्पों के उपयोग हेतु मशीन और उपकरण क्रय पर राशि ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11 से 12

आगामी विधानसभा चुनाव-2018 में चुनाव बंदोबस्त चुनाव ड्यूटी हेतु पेट्रोल तेल आदि मद में ₹ 500.00 लाख एवं चुनाव हेतु अधिग्रहित वाहनों पर राशि ₹ 500.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13 से 14

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजनांतर्गत राज्य के 08 अत्यंत नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान हेतु ₹ 3664.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।